

सेवा में,

श्रीमान् उप निबन्धक महोदय
नैनीताल जिला नैनीताल

विषय- मरणोपरान्त वसीयत के पंजीकरण हेतु।

महोदय,

प्रार्थना है कि प्रार्थी की नानी श्रीमती रामकली रावत पत्नी स्वर्गीय श्री चन्द्र शमशेर रावत द्व अपने जीवनकाल में दिनांक-23-01-2002 को अपनी वाके अन्दर हदूद नगरपालिका परिषद नैनीताल अपर डाडा कम्पाउण्ड नैनीताल की भूमि, मकान, कार व सकल सामान आदि की वसीयत प्रार्थी मनमो सामन्त के हक में गवाहान् के सम्मुख तहरीर की गयी है। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 12-06-2002 हो चुकी है। वसीयत को प्रार्थी मरणोपरान्त पंजीकरण कराना चाहता है।

अतः प्रार्थना है कि संलग्न मूल वसीयतनामे को मरणोपरान्त पंजीकृत करने की कृपा दी जाए।

दिनांक- 17-10-2019

प्रार्थी-


मनमोहन सामन्त पुत्र श्री जे0एस0 सामन्त

निवासी गायत्री निवास, अपर डाडा कम्पाउण्ड, तल्लीताल नैनीताल।

ORIGINAL WILL &
DEATH certificate
ATTACHED.



10/17/2019

बही संख्या 3 रजिस्ट्रीकरण संख्या .I.I. वर्ष 2019




Man Mohan Samant

मनमोहन सामन्त



Kishan Singh Thakur

किशन सिंह तडागी



Mahendra Singh Bish

महेन्द्र सिंह बिष्ट



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

मि० न्यू० सि०-182/2019 मरणापरान्त वसोपत निष्पन्न की
कार्यवाही की मुद्रितक स्थिति,

Ureemy
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, नैनीताल

18 Oct 2019

Ureemy
Ureemy Co

उत्तरांचल
 उत्तर प्रदेश सरकार
 स्वास्थ्य विभाग
 मृत्यु का प्रमाणपत्र

प्रमाण संख्या 19
 (मृत्यु 9 दिवस)

प्रमाण संख्या 310152
 उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अंतर्गत जारी किया गया धारा 17 के अंतर्गत जारी किया गया।
 30

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल प्रमाणों से की गई है जो कि नीनीताल स्थित है।

नाम श्रीमती रामकृष्णी राय उमर 51 वर्ष
 निवासी नीनीताल (स्थायी निवास) राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान केंद्र


मृत्यु का दिनांक 12/06/02 (12 जून 2002)
 मृत्यु का स्थान नीनीताल
 शिका/ मरणा/पत्रिका का नाम श्री चंद्रशमशेर सिंह राय
 जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Dr. P. S. Bhakuni

दिनांक 20/06/02 द्वारा Dr. P. S. Bhakuni
 मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया।

टिप्पणी—मृत्यु की वजह से मृत्यु के कारण के अलावा यह शिकायत/पत्रिका/पत्रिका में मृत्यु के कारण के बारे में बताया है।
 धारा 17(1) का अंतर्गत प्रमाणित किया गया है।

100 रु 00 की 20 रुपये 14-10-77-2283-1070-010000 रु 40 रुपये की (100)

[Handwritten Signature]



Trusted True Photo Copy
 Original
 (Dr. P. S. Bhakuni)
 17/10/15